प्रेषक,

संजय कुमार उपाध्याय,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
डा0 राम मनोहर लोहिया इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज,
गोमतीनगर लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांक 10 मई, 2016**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत असाध्य रोगों के निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराने हेतु मानक मद-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-39/डा0रा0म0लो0इ0मे0सा0/वित्त एवं लेखा/2016 दिनांक 05-4-2016 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि असाध्य रोगों की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष डा0 राम मनोहर लोहिया इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, गोमतीनगर लखनऊ को रू0 5.00 करोड (पाच करोड मात्र) की धनराशि स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैः

1. अवमुक्त की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी। धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार सुनिश्चित किया जायेगा।
2. उत्तर प्रदेश में असाध्य रोगों के निःशुल्क उपचार हेतु नियमावली- 2013 (यथासंशोधित) में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. संस्थान का यह दायित्व होगा कि रोगी के उपचार का समस्त व्यय वहन करने तथा उसकी प्रतिपूर्ति/समायोजन शासन द्वारा आवंटित बजट की सीमा तक ही करेंगे एवं किसी एक वित्तीय वर्ष की लम्बित धनराशि अगले वित्तीय वर्ष में अग्रेनीत नहीं की जायेगी।
4. अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य मद में धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता होगी।
5. उक्त मद में अगली किश्त तभी निर्गत की जायेगी जब निर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा लाभार्थियों की सूची उपलब्ध करायी जायेगी।
6. वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- धनराशि को कोषागार से वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी, डा0 रा0म0लो0 आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के लेखाशीर्षक-"2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-आयोजनागत-05-चिकित्सा,शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-0368-असाध्य रोगों के इलाज हेतु नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा-20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिहित किये गये अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(संजय कुमार उपाध्याय)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 65/2015/1534(1)/71-2-16-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जवाहर भवन उ0प्र0 लखनऊ।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ ।
4. वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4/ (आय-व्ययक)-2
5. स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उ0प्र0 लखनऊ।
6. प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नीलेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।